

31/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुप  
 वादी भी अनुपस्थित। तीन बार क्लक-  
 नेक कर आवाज लगाई गई, लेकिन  
 कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः  
 प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 3 नियम  
 8 CPC अदम खजरी अदम पैरवी में  
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल  
 शुभारंभ लेकर नम्बर से कम लेकर बाद  
 तामील तकमील दायकिल दफ्तर है।



उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड़ (राज. 4)

